इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें

लेखकः

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें

अल्लाह के नाम से, जो अत्यंत दयावान्, असीम दया वाला है।

सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, तथा दुरूद एवं सलाम हो अंतिम नबी, उनकी औलाद, साथियों एवं अनुसरणकारियों पर। तत्पश्चात :

मेरे सम्मानित मुसलमान भाइयो! याद रखें कि अल्लाह ने अपने सारे बंदों पर इस्लाम में प्रवेश करने, उसे मज़बूती से पकड़े रहने और उसके विरुद्ध बातों से सावधान रहने को अनिवार्य किया है। तथा इसकी ओर बुलाने के लिए अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा है। साथ ही उसने बता दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करने वाला मार्गदर्शित है और उनसे मुँह फेरने वाला पथभ्रष्ट है। उसने क़ुरआन की बहुत-सी आयतों में इस्लाम से फेर देने वाली चीज़ों एवं सभी प्रकार के शिर्क तथा कुफ़्र से सावधान किया है। उलमा रहिमहुमुल्लाह ने इस्लाम से फिर जाने वाले व्यक्ति से संबंधित बात करते हुए बताया है कि अनेक प्रकार की इस्लाम से निष्कासित करने वाली चीज़ों के कारण एक मुसलमान इस्लाम से फिर जाता है। ये सारी चीज़ें उसके ख़ून एवं धन को हलाल कर देती हैं और इनके कारण इनसान इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। इस प्रकार की सबसे खतरनाक एवं अधिकतर घटित होने वाली बातें दस हैं, जिन्हें शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब और उनके अलावा दूसरे विद्वानों ने बयान किया है, उनपर अल्लाह की दया हो। हम आपके सामने इन बातों को संक्षेप में रखने, फिर उसके बाद कुछ स्पष्टीकरणों का उल्लेख करने जा रहे हैं, ताकि

आप इनसे खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रहने को कहें। हम अल्लाह से आशा करते हैं कि हमें इनसे सुरक्षित और बचाए रखे।

पहला : इस्लाम से निष्कासित करने वाली दस बातों में से पहली बात है : उच्च एवं महान अल्लाह की इबादत में किसी को साझी बनाना। महान अल्लाह ने फ़रमाया : ***"निःसंदेह, अल्लाह यह क्षमा नहीं करेगा कि उसका साझी बनाया जाए और इसके सिवा जिसे चाहेगा, क्षमा कर देगा।"*** (सूरतुन्-निसा : 48)।

तथा एक स्थान पर फरमाया : ***"निःसंदेह सच्चाई यह है कि जो भी अल्लाह के साथ साझी बनाए, तो निश्चय अल्लाह ने उसपर जन्नत हराम (वर्जित) कर दी और उसका ठिकाना आग (जहन्नम) है। तथा अत्याचारियों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं।"*** (सूरतुल मायदा :72)।

अल्लाह की इबादत में किसी को साझी ठहराने के अंतर्गत ही : मरे हुए लोगों को पुकारना, संकट में उनसे मदद माँगना, उनके लिए मन्नत मानना और जानवर ज़बह करना आदि भी आते हैं, जैसे कोई किसी जिन्न अथवा क़ब्र के लिए जानवर ज़बह करे।

दूसरा : जो व्यक्ति अपने तथा अल्लाह के बीच मध्यस्थ बनाकर उन्हें पुकारे, उनसे सिफ़ारिश तलब करे और उनपर भरोसा करे, तो उसने विद्वानों की सर्वसम्मति के साथ कुफ़्र किया।

तीसरा : जो व्यक्ति मुश्रिकों को काफ़िर न ठहराए, या उनके कुफ़्र में शक करे, या उनके सिद्धांत को सही माने, उसने कुफ़्र किया।

चौथा : जो यह विश्वास रखे कि किसी और का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े से अधिक परिपूर्ण है, या किसी और का फैसला आपके फैसले से बेहतर है, जैसे कि वे लोग जो ताग़ूतों (अल्लाह के अलावा) के फैसले को आपके फ़ैसले पर प्राथमिकता देते हैं, तो वह काफ़िर है।

पाँचवाँ : जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई किसी चीज़ से नफ़रत किया, भले ही वह उसपर अमल करे, तो उसने कुफ़्र किया। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है : ***"यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया, जिसे अल्लाह ने उतारा, तो उसने उनके कर्म अकारथ कर दिए।"*** (सूरत मुहम्मद : 9)

छठा : जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाए हुए धर्म की किसी चीज़ या उसके प्रतिफल या उसके दंड का उपहास किया, तो उसने कुफ़्र किया। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह फरमान है : ***"आप कह दें : क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ मज़ाक़ कर रहे थे? तुम बहाने मत बनाओ, निःसंदेह तुमने अपने ईमान के बाद कुफ़्र किया।"*** (सूरतुत्-तौबा : 65-66)

सातवाँ : जादू, और इसी के अंतर्गत पति को उसकी पत्नी के प्यार से हटाकर उससे नफ़रत की ओर फेर देना तथा आदमी को किसी स्त्री पर मोहित कर देना भी आता है। अतः जिसने जादू किया या उससे संतुष्ट हुआ, उसने कुफ़्र किया।

इसका प्रमाण महान अल्लाह का यह फरमान है : ***"हालाँकि वे दोनों किसी को भी (जादू) नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कह देते कि हम केवल एक आज़माइश हैं, इसलिए तू कुफ़्र न कर।"*** (सूरतुल बक़रा :102)

आठवाँ : मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों (बहुदेववादियों) का साथ देना और उनकी मदद करना। इसका प्रमाण, उच्च एवं महान अल्लाह का यह फरमान है : ***"और तुममें से जो उन्हें मित्र बनाएगा, तो निश्चय वह उन्हीं में से है। निःसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता।"*** (सूरतुल मायदा : 51)

एक अन्य स्थान पर उसका फरमान है : ***"फिर यदि वे आपकी बात स्वीकार न करें, तो आप जान लें कि वे केवल अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, और उससे बढ़कर पथभ्रष्ट कौन है, जो अल्लाह की ओर से किसी मार्गदर्शन के बिना अपनी इच्छा का पालन करे? निःसंदेह अल्लाह अत्याचार करने वाले लोगों को मार्ग नहीं दिखाता।"*** (सूरतुल क़सस : 50)

नवाँ : जिसने यह विश्वास रखा कि कुछ लोगों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीयत से बाहर जाने की अनुमति है, जैसे कि खज़िर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बाहर जाने की अनुमति थी, वह काफ़िर है। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फरमाया है : ***"और जो इस्लाम के अलावा कोई और धर्म तलाश करे, तो वह उससे हरगिज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह आख़िरत में घाटा उठाने वालों में से होगा।"*** (सूरत आल-इमरान : 85)।

दसवाँ : अल्लाह के धर्म इस्लाम से इस तरह विमुख होना कि न उसे सीखे और न उस पर अमल करे। इसका प्रमाण महान अल्लाह का यह फरमान है : ***"और उससे बड़ा अत्याचारी कौन है, जिसे उसके पालनहार की आयतों द्वारा नसीहत की गई, फिर वह उनसे विमुख हो गया। निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेने वाले हैं।"*** (सूरतुस-सजदा : 22)

इस्लाम से निष्कासित करने वाले इन कामों को इनसान मज़ाक़ के रूप में करे, गंभीरता से करे अथवा भय के कारण करे, इनके बीच कोई अंतर नहीं है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मजबूर किया गया है। ये दस बातें ऐसी हैं जो सबसे ख़तरनाक और बहुत अधिक घटित होने वाली हैं। अतः एक मुसलमान को इनसे सावधान रहना चाहिए और अपने ऊपर इनसे भय महसूस करना चाहिए। हम अल्लाह की शरण माँगते हैं उसके क्रोध को अनिवार्य करने वाली चीज़ों तथा उसकी कष्टदायी यातना से। तथा अल्लाह तआला

हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान एवं आपके साथियों पर दुरूद एवं सलाम अवतरित करे।''

लेखक (मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब) की बात समाप्त हुई।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात में, वे लोग भी शामिल हैं : जो यह मानते हैं कि लोगों की बनाई हुई व्यवस्थाएँ (सिस्टम) एवं संविधान इस्लामी शरीयत से उत्तम हैं, या उसके समान हैं, या उनके अनुसार निर्णय लेना जायज़ है यद्यपि वह साथ-साथ यह विश्वास भी रखे कि शरीयत के अनुसार फ़ैसला करना उत्तम है, या यह माने कि इस्लाम द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था बीसवीं सदी में लागू किए जाने के लायक़ नहीं है, या यह मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण है, या यह किसी व्यक्ति के अपने रब के साथ संबंध तक ही सीमित है, जीवन के अन्य क्षेत्रों से इसका कोई लेना-देना नहीं है, तो एसा व्यकित काफिर हो जाता है। इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात के अंतर्गत यह दृष्टिकोण भी आता है कि चोर का हाथ काटने तथा विवाहित व्यभिचारी को संगसार करने से संबंधित अल्लाह के आदेश को लागू करना आज के दौर में उचित नहीं है। इसके अंतर्गत यह विश्वास रखना भी आता है कि मामलात एवं दंड संहिता आदि में अल्लाह की शरीयत के अलावा से फैसला करना जायज़ है, भले ही वह यह विश्वास न रखे कि वह शरीयत के कानून से उत्तम है। क्योंकि ऐसा करके, उसने उस चीज़ को वैध ठहरा लिया जिसे अल्लाह ने सर्वसम्मति से हराम किया है।

और जिसने भी अल्लाह की हराम की हुई ऐसी चीज़ों को हलाल मान लिया, जिनका आवश्यक रूप से धर्म से होना सर्वज्ञात है, जैसे कि व्यभिचार, शराब, सूद और अल्लाह की शरीयत को छोड़ किसी और विधान से निर्णय करना, तो मुसलमानों की सर्वसम्मति के अनुसार, वह व्यक्ति काफ़िर है।

दुआ है कि अल्लाह हमें उस काम का सुयोग प्रदान करे जो उसे पसंद है और हमें तथा सारे मुसलमानों को अपनी सीधी राह दिखाए। निश्चय ही वह सुनने वाला और बहुत निकट है। तथा अल्लाह की दया और शांति की जलधारा बरसे हमारे नबी मुहम्मद तथा आपकी औलाद और सभी साथियों पर।